



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या 1362 -काविनी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2018-7 काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 22 दिसम्बर, 2018

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-I एवं II),

समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,

समस्त अधीक्षण अभियंता,

समस्त उप महाप्रबन्धक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया है, को दिनांक 01 जुलाई, 2018 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 1189-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/18-7-काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 03.11.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश है कि दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2018 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2018	मूल वेतन का 148 प्रतिशत

2. उपरोक्त बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में निम्न प्रमुख बिन्दु निर्धारित किये गये हैं :-
 - I. इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
 - II. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अन्तर्गत 'वेतन' नहीं माना जायेगा।
 - III. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
 - IV. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
 - V. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2018 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक की देय अवशेष धनराशि, अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 नवम्बर, 2018 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि पर लागू दर से

(क्रमशः..... 2)

38

देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 नवम्बर, 2018 से (माह नवम्बर, 2018 का भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 को देय) से नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिनका भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता न खुला हो उनको देय अवशेष की धनराशि को उनके पी०पी०एफ० खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।

VI. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2018 से आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

3. उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबन्धक (लेखा) द्वारा प्राधिकार-पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (का०वि०नी०)

सं०- 1362-(1) काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. अध्यक्ष, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी-17, जे० रोड, महानगर, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
13. अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
14. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (का०वि०नी०)

Date - 22/12/2018